न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 97/2025 (GCMS: 2025/)

सरकार जरिये राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

1. **श्री राजीव कंसल** पुत्र श्री सुलेख चंद्र, उम्र 62 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी शास्त्री कॉलोनी, रायसिंहनगर
2. **श्री रघुवीर** पुत्र श्री नानू राम उम्र 38 वर्ष, आधार नम्बर 356796027025 जाति कुम्हार निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर
3. **श्री राकेश गोयल** पुत्र श्री तेजभान, निवासी बींझबायला मैसर्स एजंसी वर्ल्ड कैंचिया, तहसील पीलीबंगा
4. **श्री कमल कुमार गर्ग** पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी पीलीबंगा मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड, कैंचिया तहसील पीलीबंगा
5. **मैसर्स किसान एग्रे एजेंसी** शॉप नम्बर 19, धान मण्डी, बींझबायला, पदमपुर
6. **मैसर्स अम्बिका बायो केम** 20 पीएस चौराहा, चक 9 पीएस तहसील रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>21.04.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। यह पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 5677/2023 से चाहे जाने पर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी रीडर शाखा अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ द्वारा उक्त पत्रावली उन्हें भिजवाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 को निर्णय पारित कर, प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाते हुए एक माह में आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से यह पत्रावली दिनांक 18.03.2025 को प्राप्त हुई। .चूंकि यह पत्रावली पूर्व में उभयपक्ष की सुनवाई हेतु विचाराधीन थी, इसलिए पत्रावली पुनः बहस हेतु रखी गई।

अप्रार्थी राजीव कंसल, रघुवीर, राकेश गोयल, कमल कुमार, मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी, मैसर्स अम्बिका बायो केम की ओर से श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि दिनांक 14.03.2023 को जहां अधिकारीगण द्वारा जांच की गई है वह वर्तमान में बायोडीजल पंप नही है, बल्कि राजीव कंसल पुत्र श्री सुलेख चन्द्र के खेत की जगह है, जहां पर पूर्व में बायोडीजल पम्प लगा हुआ था एवं उस हेतु जमीन में बायोडीजल का भण्डारण करने हेतु टैंक लगा हुआ था। वर्तमान में उक्त बायोडीजल कार्यशील नहीं है, ना ही विक्रय हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। पूर्व में उक्त बायोडीजल पम्प मैसर्स अम्बिका बायोकैम के नाम से संचालित था परन्तु वर्ष 2021 में भारत सरकार व राज्य सरकार के बनाये गये नियम पूर्ण ना करने के कारण, उक्त बायो पम्प बन्द कर दिया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त कैमिकल जो कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 4 के संस्थान मैसर्स एजेन्सी वर्ल्ड कैंचिया, तहसील पीलीबंगा से खरीद किया गया था, जिसके बिल भी नियमानुसार अप्रार्थी द्वारा प्राप्त किये जाकर किराये की जीप पिकअप रजि. नम्बर आरजे 13 जीबी 5991 में परिवहन किया जा रहा था एवं अपने खेत में बने टैंक में कृषि कार्य हेतु रखा जा रहा था, जिसे किसी प्रकार से विक्रय नहीं किया जा रहा था। जीप में नियमानुसार बिलशुदा 2420 लीटर अप्रार्थी संख्या 4 के संस्थान मैसर्स एजेन्सी वर्ल्ड से खरीद किया गया था जो अप्रार्थी संख्या 5 मैसर्स किसान एग्रो एजेन्सी द्वारा खरीद की गई। पिकअप गाड़ी जो किराये हेतु उपलब्ध है, को अप्रार्थी संख्या–2 रघुवीर ड्राईवर द्वारा परिवहन कर पहुंचाया गया था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पास करीब 30 बीघा कृषि भूमि है, जिसकी जोतने के लिए डीजल/कैमिकल की आवश्यकता रहती है। उक्त कैमिकल पानी के ईजन आदि में इस्तेमाल किया जाता है एवं

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

2500 लीटर तक परिवहन किये जाने की छूट होने के कारण 2420 लीटर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ **अप्रार्थी संख्या 4 के बायो पंप से अप्रार्थी संख्या 5 के किरायाधीन वाहन से अप्रार्थी संख्या 2 के** ड्राईवर **के माध्यम से** बिलशुदा **खरीद** कर प्राप्त किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पास उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को 109 किलोलीटर भण्डारण एवं विक्रय का अधिकार है, जो भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.03.2021 से 31.12.2023 तक वैलिड जारी किया हुआ है। जो भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.03.2021 सेक 31.12.2023 तक वैलिड जारी किया हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अण्डरग्राउण्ड टैंक मे 2037 लीटर एवं वाहन में मौका पर 880 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया है। जिला रसद अधिकारी के इस्तगासा अनुसार वाहन से 2420 लीटर पेट्रोलिमय पदार्थ 11 ड्रमों से लाया जाकर, 7 ड्रम बायो पंप के अण्डरग्राउण्ड में खाली किये गये है तो भी दोनों स्थिति में ना तो अण्डरग्राउण्ड टैंक में 2500 लीटर से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदर्थ है ना ही वाहन आरजे 13 जीबी 5991 में 2500 लीटर से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन किया गया हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा उक्त वाहन अपने व्यापार व खाली समय में लाभोपार्जन हेतु किराया पद्धति से परिवहन किया जाता है, जो किसी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। **अप्रार्थी संख्या—5 द्वारा वाहन को गुड्स कैरियर श्रेणी का पंजीयन करवा रखा** है। **मौका पर आरसी का ना होना मोटरव्हीकल एक्ट के प्रावधानों की उल्ल्घना हो सकती है।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 पेशे से कृषक होने के कारण अपने खेत में लगे पूर्व के बायो टैंक का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थ समय—समय पर मंगवाया जाकर कृषि कार्य के लिए अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

फर्म से निर्धारित मात्रा 2500 लीटर से कम खरीद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पास बायोडीजल नही है, बल्कि उनके पास से बी श्रेणी का पेट्रोलियम पदार्थ खरीद किया जाता है। प्रार्थी द्वारा निर्धारित मात्रा में व छूट सहित पेट्रोलियम पदार्थ को खरीद करने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 का पेट्रोलियम पदार्थ व अप्रार्थी संख्या 5 का वाहन राजसात करने का निवेदन किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 3 दिनांक 23.03.2021 को फरीदाबाद हरियाणा से 109 किलोलीटर ख वर्ग के पेट्रोलियम पदार्थ को भण्डारण की अनुज्ञप्ति प्राप्त है। उक्त अनुज्ञप्ति अप्रार्थी संख्या–3 की पत्नी सविता निवासी बींझबायला के नाम से एजेन्सी वर्ड पंजीयन है। उक्त पदार्थ को क्रय–विक्रय करने की अनुज्ञप्ति भी जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के माध्यम से प्राप्त है। उक्त संस्थान जीएसटी रजिस्टर्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ, वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 को छोड़ने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्री पूजा अग्रवाल ने अपनी बहस में कहा कि दिनांक 14.03.2023 को श्री राकेश सोनी–जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, श्री संदीप गौड–प्रवर्तन अधिकारी, श्री विजेन्द्र पाल–प्रवर्तन अधिकारी, के तहसील रायसिंहनगर के 20 पीएस चौराहे पर चक 9 पीएस स्थित बायो डीजल पम्प पर जाचं हेतु पहुंचे तो मौके पर बायोडीजल पम्प के अण्डरग्राउंड टैंक में एक पिकअप जीप में रखे ड्रम से पेट्रोलियम पदार्थ को एक पाईप के उपयोग से भरा जा रहा था। पिकअप जीप का रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 13 जीबी 5991 है। पिकअप जीप [illegible] ड्राईवर श्री रघुवीर पुत्र नानूराम उम्र 38 वर्ष आधार नम्बर 3567960270[illegible] जाति कुम्हार निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर उपस्थित था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि श्री रघुवीर ने बताया कि वह आज इस पिकअप जीप में 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ 2420 लीटर इस बायोपम्प के लिए लेकर आया है। **इस पेट्रोलियम पदार्थ का नाम वाटर व्हाईट है।** मौके पर पिकअप में 5 ड्रम थे जिनमें से 4 ड्रम भरे हुए व एक खाली थे। पिकअप के 6 ड्रम खाली रखे थे। रघुवीर ने बताया कि यह खाली सभी 7 ड्रम बायो पम्प के अण्डरग्राउण्ड पम्प में खाली किये गये है। मौके पर बायोपम्प मालिक श्री राजीव कंसल ने बताया कि **यह पेट्रोलियम पदार्थ मैनें आज ही मंगवाया है।** अण्डरग्राउंड टैंक के स्टॉक को डीपरेड लगाकर जांच किया। डीपरोड रिडिंग 29.5 सेमी. है। मौके पर राजीव कंसल ने अपने मोबाईल में चार्ट देखकर बताया कि 29.5 सेमी रिडिंग अनुसार अण्डरग्राउंड टैंक में 2037 लीटर स्टॉक है। मौके पर खड़ी पिकअप वाहन में 4 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भौतिक सत्यापन करने पर प्रत्येक ड्रम में 220 लीटर अनुसार कुल 880 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पिकअप जीप में रखे ड्रमों में रखा पाया। मौके पर श्री रघुवीर ने पूछताछ करने पर बताया कि इससे पूर्व 2 बार इसी पेट्रोलियम पदार्थ की 2420—2420 लीटर के हिसाब से आपूर्ति इसी बायोपम्प को दे चुका है। मौके पर रघुवीर से मांगने पर उसके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का कोई बिल आदि प्रस्तुत नहीं किया। रघुवीर के पास पिकअप जीप की आरसी नहीं है। उसके पास पिकअप वाहन के इंश्योरेंस की कॉपी है। पिकअप जीप आरजे 13 जीबी 5991 का इंश्योरेंस The Oriental Insurance Company Limited से है। इंश्योरेंस में इनश्योरेड नेम मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी, शॉप नम्बर 19 धान मण्डी, बींझबायला, पदमपुर है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजीव कंसल ने बताया कि यह पम्प पिछले 4 साल से बायो डीजल पम्प के रूप में संचालित है शुरूआत में वो यह बायो डीजल मैसर्स गजा[illegible]गढ के श्री कपिल अग्रवाल मे खरीदते थे। **पिछले एक—दो माह से यह बायो डीजल श्री राकेश गोयल की**

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

फर्म मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड, कैंचिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ से प्राप्त कर रहे है। **मौके पर वाहन चालक श्री रघुवीर एवं बायो डीजल संचालक श्री राजीव कंसल दोनों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ संबंधी कोई भी बिल या कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।** मौके पर वाहन चालक श्री रघुवीर व बायो डीजल पम्प मालिक श्री राजीव कंसल ने बताया कि यह पेट्रोलियम पदार्थ वाटर व्हाईट है, यह पेट्रोलियम पदार्थ बायो डीजल नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मैसर्स एजेंसी वर्ड का लाईसेंस जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो), फरीदाबाद जारी किया गया है जिसमें वर्ग ख के पेट्रोलियम भंडारण हेतु लाईसेंस जारी किया गया है इसीप्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति भी भंडारण हेतु है, न की परिवहन एवं विक्रय हेतु। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से जब्त उक्त समस्त पेट्रोलियम पदार्थ राजसात करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि बायो डीजल पम्प का संचालन अवैध होता पाये जाने के कारण श्री राकेश कुमार, श्री कमल कुमार गर्ग, मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड कैंचिया, पीलीबंगा, श्री रघुवीर वाहन चालक व फर्म मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी, बींझबायला के द्वारा **पेट्रोलियम पदार्थ को बायो डीजल बताकर अवैध रूप से परिवहन व विक्रय किया जा रहा है।** उक्त समस्त छः वर्णित व्यक्तियों व फर्मों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय बायो डीजल के अवैध रूप से बिना किसी वैध अनुमति/अनुज्ञापत्र (जो कि बायोफ्यलू प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राजस्थान सरकार द्वारा जारी होना था) के उक्त कृत्य किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के क्लोज 6(ए) (अधिसूचना दिनांक 29.06.2017) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। **अतः जब्तशुदा सामग्री 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मय 11 प्लास्टिक ड्रम व 01 पिकअप जीप वाहन संख्या आरजे 13/जीबी 5991 को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैनें, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 14.03.2023 श्री राकेश सोनी–जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, श्री संदीप गौड–प्रवर्तन अधिकारी, श्री विजेन्द्र पाल–प्रवर्तन अधिकारी, के तहसील रायसिंहनगर के 20 पीएस चौराहे पर चक 9 पीएस स्थित बायो डीजल पम्प पर जाचं की गई तो जांच में पाया कि बायोडीजल पम्प के अण्डरग्राउंड टैंक में एक पिकअप जीप में रखे ड्रम से पेट्रोलियम पदार्थ को एक पाईप के उपयोग से भरा जा रहा था। पिकअप जीप का रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 13 जीबी 5991 है। पिकअप जीप के साथ ड्राईवर श्री रघुवीर पुत्र नानूराम उम्र 38 वर्ष आधार नम्बर 356796027025 जाति कुम्हार निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर उपस्थित था। श्री रघुबीर से पूछने पर बताया कि वह पेट्रोलियम पदार्थ कैंचिया स्थित फर्म एजेंसी वर्ल्ड से लाया है, वो उसी फर्म के लिए काम करता है। फर्म मालिक श्री राकेश गोयल पुत्र श्री तेजभान निवासी बींझवायला है व फर्म पर कार्य श्री कमल कुमार गर्ग पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी पीलीबंगा द्वारा संभाला जाता है। श्री रघुवीर ने बताया कि आज मै इस पिकअप जीप में 11 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ 2420 लीटर इस बायोपम्प के लिए लेकर आया हूँ। **इस पेट्रोलियम पदार्थ का नाम वाटर व्हाईट है।** मौके पर पिकअप में 5 ड्रम थे जिनमें से 4 ड्रम भरे हुए व एक खाली था। पिकअप के 6 ड्रम खाली रखे थे रघुवीर ने बताया कि यह खाली सभी 7 ड्रम बायो पम्प के अण्डरग्राउण्ड टैंक में खाली किये गये है। मौके पर बायोपम्प मालिक श्री राजीव कंसल ने बताया कि यह पेट्रोलियम पदार्थ मैनें आज ही मंगवाया है। अण्डरग्राउंड टैंक के स्टॉक को डीपरेड रिडिंग 29.5 सेमी. है। मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पर खड़ी पिकअप वाहन में 4 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए है। भौतिक सत्यापन करने पर प्रत्येक ड्रम में 220 लीटर अनुसार कुल 880 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पिकअप जीप में रखे ड्रमों में रखा पाया। मौके पर श्री रघुवीर ने पूछताछ करने पर बताया कि इससे पूर्व 2 बार इसी पेट्रोलियम पदार्थ की 2420—2420 लीटर के हिसाब से अपूर्ति इसी बायोपम्प को दे चुका हूँ। मौके पर रघुवीर से मांगने पर उसके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का कोई बिल आदि प्रस्तुत नहीं किया। रघुवीर के पास पिकअप जीप की आरसी नहीं है। पिकअप जीप आरजे 13 जीबी 5991 का इंश्योरेंस The Oriental Insurance Company Limited से है। इंश्योरेंस में इनश्योरेड नेम मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी, शॉप नम्बर 19 धान मण्डी, बींझबायला, पदमपुर है। फर्म द्वारा बायो डीजल पम्प संचालित किया जाता है जो वाहन में बायो डीजल डालकर बिक्री करता है। राजीव कांसल से फर्म संबंधी / बायो डीजल पम्प संबंधी कागजात मांगे। उनके पास मौके पर कोई कागजात नहीं दिखाया गया। मौके पर राजीव कंसल ने बताया कि बायो डीजल पम्प पर जो 2 डिस्पेसींग यूनिट कार्यरत है, ये अण्डरग्राउण्ड टैंक से जुड़ी हुई है। डिस्पेसींग यूनिट्स की जांच करने पर उनकी टोटलाईजर रिडिंग क्रमशः 839210.586 लीटर व 1000470.640 लीटर प्रदर्शित है। **राजीव कंसल ने बताया कि** यह पम्प पिछले 4 साल से बायो डीजल पम्प के रूप में संचालित है शुरूआत में वो **यह बायो डीजल मैसर्स गजानन्द बायो फ्यूल हनुमानगढ के श्री कपिल अग्रवाल में खरीदते थे।** पिछले एक—दो माह से यह बायो डीजल श्री राकेश गोयल की फर्म मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड, कैंचिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ से प्राप्त कर रहे **है। मौके पर वाहन चालक श्री रघुवीर एवं बायो डीजल संचालक श्री राजीव [illegible] पदार्थ संबंधी कोई भी बिल या कागजात प्रस्तुत** [illegible] उपलब्ध और बेचा जा रहा पदार्थ बायो डीजल ही है [illegible] रघुवीर एवं श्री राजीव कांसल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर वाहन चालक श्री रघुवीर व बायो डीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पम्प मालिक श्री राजीव कंसल ने बताया कि यह पेट्रोलियम पदार्थ वाटर व्हाईट है, यह पेट्रोलियम पदार्थ बायो डीजल नहीं है। **बायो डीजल पम्प पर संचालन हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण, राजस्थान सरकार की अनुमति संबंधी कागजात नहीं मिले।** अतः उक्त बायो डीजल पम्प का संचालन अवैध होता पाया गया। साथ ही श्री राकेश कुमार, श्री कमल कुमार गर्ग, मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड कैंचिया, पीलीबंगा, श्री रघुवीर वाहन चालक व फर्म मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी, बींझबायला सभी के द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद को बायो डीजल बताकर अवैध रूप से परिवहन व विक्रय किया जा रहा है। उक्त समस्त छः वर्णित व्यक्तियों व फर्मों द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय बायो डीजल के अवैध रूप से बिना किसी वैध अनुमति/अनुज्ञापत्र (जो कि बायोफ्यलू प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राजस्थान सरकार द्वारा जारी होना था) के उक्त कृत्य किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के क्लॉज 6(ए) (अधिसूचना दिनांक 29.06.2017) का स्पष्ट उल्लंघन किया है, इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने **जब्तशुदा सामग्री 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 11 प्लास्टिक ड्रम व 01 पिकअप जीप वाहन संख्या आरजे 13/जीबी 5991 को राजसात करने की प्रार्थना की है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था, कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम,नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः—

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि मैसर्स एजेंसी वर्ड के द्वारा जब्तशुदा 2914 लीटर पेट्रोलिमय पदार्थ राजीव कंसल की फर्म अम्बिका बायो केम, 20 पीएस रायसिंहनगर को किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि मैसर्स एजेंसी वर्ड के पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फरीदाबाद एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमागढ को पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय करने का लाईसेंस है, जबकि उनके द्वारा राजीव कंसल की फर्म अम्बिका बायो केम, 20 पीएस, रायसिंहनगर के पास लाईसेंस है अथवा नहीं?, का उल्लेख नहीं किया है, जिससे प्रतीत होता है कि मैसर्स अम्बिका बायो केम के पास लाईसेंस नहीं है। अ**प्रार्थी के अधिवतक्ता के स्वयं के कथनानुसार मैसर्स एजेंसी वर्ड को बी क्लास के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भण्डारण और विक्रय की एक सौ नौ किलो लीटर तक लाईसेंस परमिशन दिनांक 12.03.2021 से 31.12.2023 तक वैलिड जारी किया हुआ है** जबकि पत्रावली में **उपलब्ध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो), फरीदाबाद का पेट्रोलियम भंडारण के लाईसेंस की प्रति उपलब्ध है इसीप्रकार अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उनके जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा बी क्लास पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण की दिनांक 09.02.2025 तक अनुज्ञापत्र की परमिशन है।**

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो), फरीदाबाद का अनुज्ञप्ति में निम्नानुसार **अंकित किया गया है:**

> **दिनांक 31.12.2023 तक वैद्य अनुज्ञप्ति संख्या P/NC/RJ/15/1228 (P436496) दिनांक 23.08.2021 निम्नलिखित वर्ग मात्राओं में पेट्रोलियम भंडारण के लिए तथा संशोधित कर इस पत्र के साथ लौटाई जा रही है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उक्त लाईसेंस से स्पष्ट है कि अप्रार्थी मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड के वर्ग ख के **पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण का लाईसेंस उपलब्ध** है परन्तु उसके द्वारा **वर्ग ख के** पेट्रोलियम **पदार्थ के विक्रय और** परिवहन **का** कोई लाईसेंस **उपलब्ध नहीं है।**

इसीप्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा एजेंसी वर्ल्ड के नाम जो अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उसके **बिन्दु संख्या 03, 08, 10 में निम्नानुसार अंकित है:**

बिन्दु संख्या 03 – भंडारण स्थल,
बिन्दु संख्या 08 – भंडारण का ब्यौरा एवं
बिन्दु संख्या 10 – Solvant का अंतिम उपयोग जिसके लिए अनुज्ञापत्र दिया जा रहा है,

उक्त अंकित विवरण से भी पता चलता है कि **एजेंसी वर्ल्ड के पास जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा जारी पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण का लाईसेंस है, परन्तु विक्रय और परिवहन का कोई लाईसेंस उपलब्ध नहीं** है। अप्रार्थी राकेश गोयल एवं कमल कुमार गर्ग और मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड के पास पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय का लाईसेंस न होने के बावजूद भी उनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय एवं परिवहन किया जा रहा था

अप्रार्थी राजीव कंसल की फर्म मैसर्स अम्बिका बायो केम, 20 एस के पास किसी भी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण/परिवहन/विक्रय करने का कोई अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया गया । अप्रार्थी के अधिवक्ता के अनुसार 2021 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बनाये गये नियम पूर्ण न करने के कारण, उक्त बायो पम्प बन्द कर दिया गया था, फिर भी अप्रार्थी द्वारा जब्तशुद्धा पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय बायो फ्यूल के रूप में किया जा रहा था।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अंकित किया है कि राजीव कसंल ने बताया कि उनके यहां से जब्त किया गया पेट्रोलियम पदार्थ वाटर व्हाईट है, यह पेट्रोलियम पदार्थ बायो डीजल नहीं है तथा वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पिछले चार साल से बायो डीजल पम्प के रूप में संचालित कर रहा है। जिसकी पुष्टि पम्प पर लगी हुई डिस्पेसिंग यूनिट से होती है, जो जांच दिनांक तक कार्य अवस्था में थी और उस पर रीडिंग भी प्रदर्शित हो रही थी। राजीव कंसल अपनी बन्द हो चुकी फर्म मैसर्स अम्बिका बायो केम पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को बायो डीजल के रूप में अनाधिकृत रूप से क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करते हुए पाये गये है, जबकि अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में राजीव कांसल द्वारा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ अपनी कृषि कार्य हेतु उपयोग करना बताया है, जो सही प्रतीत नहीं होता है।

सहायक निदेशक (रसायन), क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 8 मील चुंगी नाका मण्डोर, जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण की सैपल रिपोर्ट S.No. RFSL(JOD)/2162/CAE/24/23 dated 28.07.23 निम्नानुसार है:

RESULT OF EXAMINATION

The liquid sample contained in the glass bottle marked "A" and “D” **did not confirm the BIS specification of BioDiesel**(B100) (IS 15607:2016) in respectg of density at 15^0C, Kinematic viscosity at 40^0C and Flash point .

On the basis of distillation characteristics, the liquid sample were found to be of petroleum hydrocarbon fraction having Density at 15^0C and Flash Point as follow :

Packet Marked	Density (at 15^0C)	Flash Point (Abel)
A	0.8186	28^0C
D	0.8188	28^0C

उक्त रिपोर्ट से **स्पष्ट है कि** अप्रार्थीगण से जब्तशुदा 2914 लीटर वर्ग ख का पट्रोलियम पदार्थ है, जिसे अप्रार्थीगण बायोडीजल के रूप में विक्रय करते है। मौके पर राजीव कांसल के बायो डीजल पम्प पर 2 डिस्पेंसिंग यूनिट कार्यरत है, ये अण्डरग्राउण्ड टैंक से जुडी हुई है [illegible] सींग यूनिट में भी टोटलाईजर रिडिंग प्रदर्शित हो रही थी [illegible] अप्रार्थी राजीव कांसल के पास बायो डीजल का वैध **अनुज्ञापत्र न होने के बावजूद** भी जब्तशुदा वर्ग ख के **2914 लीटर पेट्रालियम पदार्थ का बायो डीजल के रूप मे क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन किया जा रहा था।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी वाहन चालक रघुवीर का वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 जिसका इंश्योरंस में इनश्योरेड नाम मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी शॉप नम्बर 19 धान मंडी, बींझबायला, पदमपुर दर्ज है। मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी के उक्त वाहन का वाहन चालक रघुवीर द्वारा मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड (मालिक राकेश गोयल एवं कार्यकर्त्ता कमल कुमार गर्ग) पेट्रोलियम पदार्थ अपने वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 में परिवहन कर, राजीव कंसल की फर्म मैसर्स अम्बिका बायो केम को वितरित किया गया है और उक्त **किसी भी फर्म के पास पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन एवं विक्रय करने का कोई वैद्य अनुज्ञापत्र नही है,** जिससे यह साबित होता है कि उक्त समस्त अप्रार्थीगण जब्तशुदा 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अवैध रूप से परिवहन के कार्य में लिप्त है।

इस प्रकार अप्रार्थीगण के कब्जे से वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 में अप्रार्थीगण मैसर्स एजेंसी वर्ड के मालिक एवं कार्यकर्त्ता राकेश गोयल एवं कमल कुमार गर्ग के पास भण्डारण का अनुज्ञापत्र था, परन्तु उनके द्वारा अप्रार्थी राजीव कंसल की फर्म मैसर्स अम्बिका बायो केम को 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन एवं विक्रय किया गया है, **जबकि मैसर्स एजेंसी वर्ड के पास पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन एवं विक्रय करने का कोई अनुज्ञापत्र नही था। और मैसर्स अम्बिका बायो केम के पास भण्डारण/परिवहन/क्रय /विक्रय का कोई वैद्य अनुज्ञापत्र नही था और न ही उनके द्वारा बाद में कोई अनुज्ञा पत्र पेश किया गया है।** जबकि राज्य सरकार ने अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 05.10.2006 को निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये है :

> **(13) क्रमांक : एफ.17(1)खा.वि./विधि/2000–1,**
> **जयपुर, 5 अक्टूबर, 2006**
>
> **दिशा–निर्देश द्वारा विशिष्ट शासन सचिव व अति. खाद्य आयुक्त वास्ते समस्त जिला कलेक्टर्स/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान**
>
> सॉल्वेंट जैसे ज्वलनशील उत्पादों [illegible] होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के बचाव [illegible] रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और [illegible] उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के तहत जारी किए जाने वाले अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में तथा व्यापार एवं भण्डारण स्थल से सुरक्षित होने की सुनिश्चितता करने के लिए निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैः

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

1. आवेदन पत्र में प्रस्तावित व्यापार/भण्डारण स्थल से 300 मीटर के रेडियस में किसी प्रकार की आबादी या रहवासी मकानात नहीं हो

....

12. यदि 2500 लीटर तक भंडारण क्षमता के अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है, तो अनुज्ञापत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदन पत्र में उल्लेखित व्यापार एवं भण्डारण स्थल के लिए जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

13. जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व पुलिस विभाग सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका/ग्राम पंचायत तथा रसद विभाग की रिपोर्ट प्राप्त की जावें, कि आवेदन पत्र में प्रस्तावित व्यापार/भण्डार स्थल हेतु सुरक्षित है।

14. बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे। जिला रसद अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे। इस हेतु सॉल्वेन्ट अनुज्ञापत्र धारकों के व्यापार/भंडारण स्थल की सघन जांच करावें तथा अनुपयुक्त व्यापार स्थल व अवैध कारोबार की रोकथाम हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस प्रकार उक्त तालिका के अनुसार भी अप्रार्थी मैसर्स किसान एग्रो एजेंसी के उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 का प्रयोग पट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लगातार कर रहे है जो **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी** "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायक के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की स्पष्ट उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:32:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जो मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड के द्वारा राजीव कसंल की फर्म मैसर्स अम्बिका बायोज केम को विक्रय किया गया है, का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) के अनुसार 2500 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) के किया जा सकता है इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति(License) का होना आवश्यक है जबकि मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति(License) न होने के बावजूद भी मैसर्स अम्बिका बायो केम के राजीव कांसल को विक्रय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मैसर्स अम्बिका बायो केम के राजीव कंसल, जिसके द्वारा उक्त तरल पदार्थ क्रय किया गया है, के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने की कोई अनुज्ञप्ति नहीं है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 मैसर्स एजेंसी वर्ल्ड एवं मैसर्स अम्बिका बायो केम के साथ अवैध कारोबार में लिप्त है। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से जब्तशुदा उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 मय 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

अतः उक्त व्यक्तियों एवं फर्मो द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय बायो डीजल के अवैध रूप से बिना किसी वैद्य अनुमति/अनुज्ञापत्र (जो कि बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राजस्थान सरकार द्वारा जारी होना था) के उक्त कृत्य, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (अ[illegible] [illegible]रण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश 2005 के क्लॉज 6(2) [illegible] अधिसूचना दिनांक 29.06.2017) के प्रावधानों की उल्लंघना है। **इसलिए उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 एवं 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात करने योग्य ठहरते है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी** मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड़ डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश 2005 के क्लॉज 6(ए) (अधिसूचना दिनांक 29.06.2017) के प्रावधानों की अवेहलना के कारण **जब्तशुदा** 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ **एवं वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 राजसात किये जाते है।**

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल व पैट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। **जिसके सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क(1)(ग) द्वितीय परन्तुक – आवश्यक वस्तुओं का अधिहरण भी निम्न प्रकार से है:**

> **यह और कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, यान या अन्य प्रवहरण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु गाड़ी यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय(pay) करने का विकल्प दिया जाएगा।**

चूंकि वाहन चालक के वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 का अनुमानित **बाजार भाव 2.50 लाख रूपये है।** माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतो एवं उक्त अधिनियम के प्रावधानों के मध्यनजर उक्त वाहन संख्या आर जे 13 जीबी 5991 **पर 2.25 लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि [illegible] देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को [illegible] को सुपुर्द कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangal & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvind Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

चूंकि उक्त प्रकरण 2914 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 5991 को राजसात करने के आदेश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क(1)(ग) द्वितीय के उक्त अंकित परन्तुक के अनुसार वाहन पर 2.25/— लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है, जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:15 IST
Reason: SelfAttested